



## अष्टादश बिहार विधान सभा

### द्वितीय सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-26.02.2026 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

| क्र० सं० | सदस्य का नाम  | विषय   | विभाग  |
|----------|---|--|--------|
| 1        | 2   | 3  | 4      |
| 1.       | <p>श्री राजू कुमार सिंह, स०वि०स०</p> <p>श्री मंजोत कुमार सिंह, स०वि०स०</p> <p>श्री मनोष कुमार, स०वि०स०</p> <p>श्री जनक सिंह, स०वि०स०</p> <p>श्री विनय बिहारी, स०वि०स०</p> <p>श्री अवधेश सिंह, स०वि०स०</p> <p>श्री मुनील कुमार पियू, स०वि०स०</p> <p>श्री कंदार प्रसाद गुप्ता, स०वि०स०</p> <p>श्री खीरेन्द्र सिंह, स०वि०स०</p> <p>श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स०</p> <p>श्रीमती अश्वमेघ देवी, स०वि०स०</p> <p>श्री कृष्ण कुमार मंटू, स०वि०स०</p> | <p>“बिहार राज्य में गुणवत्तापूर्ण केन्द्रीय विद्यालय स्तर की शिक्षा की उपलब्धता अभी भी मुख्यतः शहरी एवं जिला मुख्यालय क्षेत्रों तक सीमित है, जिसके कारण ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में छात्र-छात्राएँ समान अवसर से वंचित रह जाते हैं। मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत साहेबगंज एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 60-65 कि.मी. दूर स्थित है। इस प्रकार केन्द्रीय विद्यालय से वंचित सभी विधान सभाओं के साथ-साथ साहेबगंज में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जाती है तो इससे उत्तर बिहार के व्यापक ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी। साथ ही गोपालगंज के माझा प्रखंड के डोमहता एवं छवहौं मौजा में कैबिनेट की स्वीकृति से केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 4.63 एकड़ जमीन केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार को हस्तांतरित की गई है, किन्तु केन्द्रीय विद्यालय के स्थापना के संबंध में प्रगति नग्न है।</p> <p>अतः ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्र के बच्चे-बच्चियों को उत्कृष्ट शिक्षा ग्रहण करने का भी अवसर प्राप्त हो इसलिए साहेबगंज एवं गोपालगंज में प्रस्तावित भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।”</p> | शिक्षा |

| क्र० सं० | सदस्य का नाम  | विषय  | विभाग  |
|----------|---|---|--------|
| 1        | 2   | 3   | 4      |
| 2.       | श्री बाबुलाल शौर्य,<br>संवि०स०<br>श्री विष्णु देव पासवान,<br>संवि०स०<br>श्री रामेश्वर कुमार महतो,<br>संवि०स०<br>श्री प्रमोद कुमार सिंह,<br>संवि०स०<br>श्री रितुराज कुमार,<br>संवि०स०<br>श्री पप्पु कुमार वर्मा,<br>संवि०स०<br>श्री राहुल कुमार सिंह,<br>संवि०स०<br>श्री मिथुन कुमार,<br>संवि०स० | " राज्य के सभी बुनियादी विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से कक्षा 10 तक उच्चीकृत किया जाए। यह कदम ड्राप आउट को कम करने के साथ-साथ युवाओं को कुशल मानव संसाधन के रूप में विकसित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा।<br><br>अतएव जनहित में बुनियादी विद्यालयों को कक्षा 10 तक उच्चीकृत करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।" | शिक्षा |

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-17/2026-

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ख्वाति सिंह

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

/वि०स०, पटना, दिनांक-25 फरवरी, 2026 ई०।

(रविन्द्र पंडित)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-17/2026-

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/वि०स०, पटना, दिनांक-25 फरवरी, 2026 ई०।

(रविन्द्र पंडित)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-17/2026-

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/वि०स०, पटना, दिनांक-25 फरवरी, 2026 ई०।

(रविन्द्र पंडित)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-17/2026-

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

/वि०स०, पटना, दिनांक-25 फरवरी, 2026 ई०।

(रविन्द्र पंडित)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

25/02/2026